न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 25 / 2010
प्रविष्टि दिनांक 30.08.2010

सरकार जरिये तहसीलदार टोंक .....प्रार्थी

बनाम

श्रीमति फून्दी पत्नि लाला जाति धाकड निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थी

अपील अन्तर्गत राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 (नवीन सीलिंग विधि) की धारा 23 (1)

उपस्थिति : (1) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 21.03.2024**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी टोंक ने दिनांक 23.01.1985 को प्रतिपक्षी को सरप्लस सीलिंग भूमि आ0ख0नं0 134 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 138 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 140 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 145 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 149 रकबा 10 बिस्वा, 153 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल 6 किता रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील टोंक में (सिलिंग सरप्लस) कीमतन आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थी की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीया बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण मे राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दोराने बहस कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी टोंक ने दिनांक 23.01.1985 को प्रतिपक्षी को आ0ख0नं0 134 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा,138 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा,140 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा,145 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा,149 रकबा 10 बिस्वा,153 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल 6 किता रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील टोंक में (सिलिंग सरप्लस) कीमतन आवंटन किया गया है। उक्त सिलिंग सरप्लस भूमि मूल खातेदार (जागिरदार) अब्दुल लतीफ पुत्र अब्दुल रहीम खॉ निवासी

जिला कलेक्टर
टोंक

शार्गिद पेशा टोंक से अवाप्त की गई थी। अब्दुल लतीफ मूल खातेदार द्वारा भूमि अवाप्त करने के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक मे मु.नं. 21/1971 उनवान अब्दुल लतीफ बनाम राज्य सरकार दायर करने पर न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.07.1987 द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरान को मूल खातेदार अब्दुल लतीफ के खाते मे दर्ज कर अन्य भूमि देने के आदेश दिये गये है। आवंटित भूमि को निर्णय दिनांक 04.07.1987 द्वारा वापस मूल खातेदार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रभावी होने के कारण आवंटी को आवंटित भूमि पर कब्जा नही दिया गया है। निर्णय की पालना मे तहसीलदार ने लक्ष्मीपुरा की 24 बीघा 7 बिस्वा भूमि रिकार्ड मे मूल खातेदार अब्दुल लतीफ के वारिसान मु. जेबुन्निसा बेगम पत्नि अब्दुल कादिर खॉ,अब्दुल वहाब खॉ पि. अब्दुल लतीफ खॉ,फरजाना खान,ताजवर खान पुत्रिया अब्दुल लतीफ खॉ के नाम जर्ये नामान्तकरण नं. 64 दिनांक 1.12.1987 से रिकार्ड मे अमल दरामद कर दिया गया है। आवंटन आदेश आज दिनांक प्रभावी है जो सर्वथा विधि विरूद्व है क्योकि न तो आवंटन आदेश का राजस्व रिकार्ड मे अमल है ओर ना ही आवंटी मौके पर काबिज है। अतः दिनांक 23.01.1985 को अप्रार्थीया को किया गया सरप्लस सीलिंग भूमि का कीमतन आवंटन निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

हमने राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थीया श्रीमति फून्दी पत्नि लाला धाकड को उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा दिनाक 23.01.1985 को सरप्लस सीलिंग भूमि आ0ख0नं0 134 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा,138 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा,140 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा,145 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा,149 रकबा 10 बिस्वा,153 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल 6 किता रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा मे कीमतन आवंटन किया गया है।

अब्दुल लतीफ मूल खातेदार द्वारा भूमि अवाप्त करने के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक मे मु.नं. 21/1971 उनवान अब्दुल लतीफ बनाम राज्य सरकार दायर करने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 04.07.1987 द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरान को मूल खातेदार अब्दुल लतीफ के खाते मे वापस दर्ज करने के आदेश दिये जाने के उपरान्त तहसीलदार टोंक ने ग्राम लक्ष्मीपुरा की 24 बीघा 7 बिस्वा भूमि रिकार्ड मे मूल खातेदार अब्दुल लतीफ के वारिसान मु. जेबुन्निसा बेगम पत्नि अब्दुल कादिर खॉ,अब्दुल वहाब खॉ पि. अब्दुल लतीफ खॉ,फरजाना खान,ताजवर खान पुत्रिया अब्दुल लतीफ खॉ के नाम जर्ये नामान्तकरण नं. 64 दिनांक 1.12.1987 से रिकार्ड मे अमल दरामद कर दिया गया है।

तहसीलदार टोंक ने अपने प्रार्थना पत्र मे बिन्दु संख्या 6 मे आवंटन आदेश का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद नही होने और ना ही आवंटी मौके पर काबिज है का उल्लेख किया है। आवंटन नियमो की शर्तो के अनुसार विपक्षी को आवंटन के पश्चात प्रथम वर्ष मे 50 प्रतिशत हिस्से पर तथा द्वितीय वर्ष मे सम्पूर्ण भूमि पर काश्त किया जाना आवश्यक था, परन्तु विपक्षी ने आवंटन के पश्चात उपरोक्तानुसार भूमि पर काश्त नही करके आवंटन शर्तो का

जिला कलेक्टर
टोंक

स्पष्ट रूप से उल्लघंन किया है। ऐसी स्थिति मे विपक्षी को किये गये आवटन को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर श्रीमति फून्दी पत्नि लाला धाकड जाति धाकड निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला टोंक को दिनांक 23.01.1985 को ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी खसरा नम्बर 134 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा,138 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा,140 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा,145 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा,149 रकबा 10 बिस्वा,153 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल 6 किता रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक